राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 16/2024 अपील

1 श्रीमती चम्पा देवी पत्नी श्री नारायण व्यावट (ढोली) निवासी सदर बाजार रूपाहेली, जिला भीलवाड़ा।
2 श्री राजेन्द पुत्र श्री नारायण लाल ढोली उम्र वयस्क निवासी–जवाहरनगर, जयपुर।
3 श्रीमती भूरी देवी ढोली उर्फ भंवरी देवी पत्नी श्री जगदीश ढोली निवासी ग्राम गुढा कलां तहसील भिणाय जिला अजमेर।
4 श्रीमती मंजू पत्नी श्री सोहन ढोली निवासी सदर बाजार टाटोटी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
5 श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री प्रकाश ढोली उम्र वयस्क निवासी ग्राम रूपाहेली कलां तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
6 सुश्री काजल ब्याक्ट पुत्री स्व.श्री प्रकाश ब्यावट (ढोली) उम्र 11 वर्ष जरिये नाबालिग संरक्षक माता श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी प्रकाश ढोली निवासी ग्राम रूपाहेली कलां, तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा।
7 श्रीमती कमल देवी पत्नी श्री कालूराम दमामी (ढोली) निवासी– सदर बाजार रूपाहेली जिला भीलवाड़ा।
8 श्रीमति नीतू ब्यावट पत्नी श्री रवि व्यावट (ढोली) निवासी– ग्राम बान्दनवाडा तहसील भिणाय, जिला अजमेर।
9 सुश्री मोना ब्यावट पत्नी श्री आशीष दमामी (ढोली) निवासी– ग्राम नया समेलिया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
10 श्री प्रदीप कुमार दमामी पुत्र श्री कालूराम दमामी (ढोली) निवासी– ग्राम रूपाहेली कलां, तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
11 श्री सुमित ब्यावट उर्फ मनोज पुत्र श्री कालू ब्यावट (डोली) निवासी ग्राम रूपाहेली कलां, तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा जरिये पॉवर आफ अटोनी श्री दिनेश मेघवंशी पुत्र श्री जवाहर मेघवंशी उम्र वयस्क निवासी– रतनपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

–अपीलार्थी

बनाम

1.श्रीमती कविता जैन पत्नी पवन कुमार जैन उम्र वयस्क निवासी–टांक गली, विजय नगर तहसील मसूदा जिला अजमेर।

2-MS NATURETASTE OIL INDUSTRY LLP.
पर्जीकृत कार्यालय दुकान नं.1, कमला आरकेड काम्पलेक्स अजमेर रोड, भीलवाड़ा।

3.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाड़ा।

–रेस्पोडेण्ट

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

22.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम
विरूद्ध तहसीलदार हुरडा नामान्तरण संख्या 2435/08.05.2008

उपस्थित –

1. श्री सत्यनारायण सोमाणी, अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता
2. श्री भैरूलाल बापना, रेस्पोन्डेन्ट–1,2 की ओर से अधिवक्ता
3. राजकीय पेराकार, रेस्पोन्डेन्ट–3 की ओर से अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :– 22/04/2026

अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अनुसार ग्राम–रूपाहेली पटवार हल्का–रूपाहेली तह–हुरडा की आराजी संख्या 3222 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा एवं 3224 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 28 बीघा 3 बिस्वा भूमि खातेदार नारायण पिता ब्यावट के नाम दर्ज थी, जो जाति से ढोली अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, जिसकी गौत्र ब्यावट थी। नारायण पुत्र मोती ब्यावट का निधन हो गया है तथा अपीलाण्टगण संख्या 1 लगायत 11 नारायण पिता मोती ब्यावट ढोली के विधिक वारिसान है। राजस्व रेकॉर्ड में नारायण पिता मोती जो की ढोली जाति का है तथा उसकी गौत्र ब्यावट के नाम से खातेदारी में नारायण पिता मोती ब्यावट इंद्राज किया हुआ है। लेकिन नारायण पिता मोती जाति से ढोली है तथा उसकी गौत्र ब्यावट होने से रेकार्ड में नारायण पिता मोती ब्यावट अंकित है। RTA 1955 की धारा 42–बी के तहत एस०सी० के व्यक्ति की खातेदारी आराजियात का अन्तरण किसी भी प्रकार से स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम पर नहीं हो सकता है। लेकिन रेस्पो–1 के पति ने अपीलाण्टगण के पूर्वज नारायण ढोली को बहला फुसलाकर कर Power of Attorney दिनांक 18.12.2007 को निष्पादित करवा उसे 19.12.2007 को पंजीकृत करवा दिया। उक्त अधिकार विहिन पॉवर आफ ॲटोनी के जरिये श्री पवन कुमार जैन ने अपनी पत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम उपरोक्त वर्णित आराजी संख्या 3222 एवं 3224 का विक्रयपत्र दिनांक 02.01.2008 को निष्पादित करते हुए उसे पंजीकृत करवा दिया। जबकि नारायण ढोली की जो पावर आफ अटोर्नी पवन कुमार जैन के हक मे निष्पादित करवाई है उससे भी पवन कुमार जैन को वादग्रस्त आराजियात बाबत कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। पॉवर आफ अटॉर्नी के मार्फत निष्पादन प्रारम्भतः कानूनन शून्य एवं अवैध है। अपीलान्ट के पूर्वज नारायण पिता मोती ढोली की कोई स्वतंत्र सहमति पॉवर आफ अटोर्नी निष्पादित करने की नही थी। राजस्व ग्राम भोजरास पटवार हल्का भोजरास में भी अपीलान्टगण के पूर्वज नारायण पिता मोती ढोली की भी और कृषि आराजियात स्थित थी जिसे भी नारायण ढोली द्वारा वर्ष 2013 मे विक्रय किया गया जिसमे उसकी जाति ढोली अंकित है। ऐसी स्थिति मे ग्राम रूपाहेली वाली आराजियात मे जो जाति व्यावट अंकित है वह केवल मात्र ढोली जाति की ही गौत्र है तथा अनुसूचित जाति की ही श्रेणी में आती है। केवल मात्र जमाबन्दी में ढोली की गौत्र ब्यावट अंकित होने के कारण पवन कुमार जैन ने नारायण को बहला फुसलाकर उसकी सहमती स्वीकृति के बिना कानूनी स्थिति से अनभिज्ञ रखते हुए पावर आफ अटोर्नी निष्पादित करवा ली तथा उक्त अधिकार विहिन पॉवर आफ अटोर्नी के जरिये विक्रयपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष मे निष्पादित किया तथा उक्त विक्रयपत्र के आधार पर जो नामान्तरण तहसीलदार साहब द्वारा खोला गया है वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। अपीलान्टगण के जो जाति प्रमाणपत्र सम्पूर्ण कार्यवाही किये जाने के पश्चात जारी किये जाते है उसमे अपीलान्टगण के प्रमाण पत्र में जाति ढोली अंकित है तथा जहां व्यावट अंकित है उसे ढोली ही समुदाय का ही मानते हुए अनुसूचित जाति का माना है ऐसी स्थिति में अपीलान्टगण के पूर्वज नारायण की जमाबन्दी के अनुसार ब्यावट को अनुसुचित जाति ही नही मानते हुए पवन कुमार जैन द्वारा पावर आफ अटोर्नी निष्पादित करवाई गई तथा उक्त पावर आफ अटोर्नी के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक मे विक्रयपत्र निष्पादित किया गया तथा उक्त विक्रयपत्र के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण भर कर पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया लेकिन

22.4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

तत्समय पंचायत रूपाहेली कला द्वारा नामान्तण खोलने का निर्णय नही लिया गया, उक्त निर्णय भी इसी कारण नही लिया गया कि विक्रेता अनुसूचित जाति का व्यक्ति था तथा विक्रयपत्र स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम निष्पादित शुदा था, इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय तहसीलदार हुरड़ा द्वारा किये जाने इंद्राज किया तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा उक्त विधिक स्थिति को नहीं समझ अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम किये गये विक्रय के आधार पर नामान्तरण खोलने का जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक मे उक्तानुसार गलततौर खोले गये नामान्तरण के आधार पर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हो गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को यह पूर्ण ज्ञात था कि उसके पति पवन कुमार जैन ने खातेदार नारायण पिता मोती ढोली को बहला फुसलाकर पावर आफ अटोर्नी निष्पादित करवाई है तथा उक्त पावर आफ अटोर्नी के आधार पर उसके नाम विक्रयपत्र निष्पादित किया गया है तथा नामान्तरण उसके नाम खोल दिया गया है। इसका नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपरोक्त वर्णित आराजी संख्या 3222 में से आंशिक हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र बेचान कर दिया है जिसके आराजी संख्या 6173/3222 रकबा 0.8255 है० कायम हुए। जिसका नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम नामान्तरण संख्या 4569 दिनांक 22.06.2022 को विक्रयपत्र के आधार पर खोला गया है, हालांकि उक्तानुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम पर भी नामान्तरण नही खोला जाना चाहिये था क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर खोला गया नामान्तरण भी धारा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विधि विरूद्ध है। अपीलाण्टगण को नामान्तरण जैर बहस की पूर्व में जानकारी नहीं थी, अपीलाण्टगण मौके पर वादग्रस्त आराजी संख्या 3222 एवं 3224 पर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग कर रहे है लेकिन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व उसका पति पवन कुमार एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के प्रतिनिधि आए दिन, अपीलाण्टगण के कब्जे में दखल अंदाजी उत्पन्न करते है एवं कहते है उपरोक्त वर्णित आराजियात हमने क्रय कर ली है एवं बताया कि राजस्व रेकॉर्ड में आराजी उनके नाम दर्ज हो गई तब अपीलाण्टगण ने रेकॉर्ड देखा तो जानकारी हुई एवं तत्काल नकल 23.08.2022 को नकल प्राप्त कर, अंदर अवधि यह अपील प्रस्तुत की गई। फिर भी दफा–5 का प्रा0पत्र पेश है। निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर, तहसीलदार हुरडा का नामान्तरण 2435/08.05.2008 को खारिज फरमाते हुए उसकी अनुपालना में रेस्पोन्डेन्ट–2 के नाम पर खोले गए नामान्तरण संख्या 4569/22.06.2002 को भी अपास्त फरमाया जाए।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षी 1 व 2 की ओर से जवाब प्राप्त हुआ।

विपक्षी 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब अंतर्गत धारा 3 व 5 कानून मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 01 को अपीलार्थीगण के पूर्वज श्री नारायण पुत्र मोती व्यावट ने राजीखुशी बिना किसी दबाव के अपनी सहमती से अपने द्वारा श्री पवनकुमार जैन को मुख्तार आम नियुक्त कर मुख्तारनामा आम में वर्णित सभी अधिकार प्रदत्त किये इतना ही नहीं मुख्तारनामा आम को सक्षम उप पंजीयक हुरडा के यंहा पर पंजीकृत भी करवा दिया जिसे कभी भी चुनौती नहीं दी गई व न ही निरस्त करवाया गया, श्री पवनकुमार जैन ने पंजीकृत मुख्तारनामा आम में प्रदत्त अधिकारो के तहत ही दिनांक 02–1–2008 को जरिये पंजीकृत बेचाननामा द्वारा भूमि खसरा संख्या 3222, 3224 गांव रूपाहेली तहसील हुरडा बाबत पुर्ण प्रतिफल प्राप्त कर, बेचान कर, बेचान की गई आराजी का भौतिक कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 01 को तत्समय ही मोती व्यावट सहित अपीलार्थीगण की पुर्ण व प्रर्याप्त जानकारी में सुपुर्द कर दिया, तभी से निरन्तर बिना किसी बाधा व रूकावट के खरीददारिया प्रत्यर्थी संख्या 01 का कब्जा चला आ रहा है व आज भी कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 01 का ही विद्यमान है, जिस बाबत मोती व्यावट ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि के बेचान को लिखित में स्वीकार भी किया व प्रतिफल प्राप्त करना व कब्जा देना भी स्वीकार किया, इतना ही नही अपीलार्थीगण व उनके पूर्वज श्री मोती ब्यावट की पूर्ण जानकारी व सहमती से प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 2435 दिनांक 08–05–2008 को ही सक्षम अधिकारी ने पुर्ण जांच कर खोला व उक्त नामान्तकरण के आधार पर उपरोक्त भूमि की राजस्व जमाबन्दी में विक्रेता मोती व्यावद जो की अनुसूचित जाति का सदस्य कभी भी नही रहा व न ही व्यावट जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है, इसी कारण सक्षम राजस्व अधिकारी व कर्मचारी ने नियमानुसार जांच कर उक्त विधिक नामान्तकरण के आधार पर राजस्व जमाबन्दी में तत्समय ही विक्रेता मोती ब्यावट के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 01 के नाम दिनांक 08–5–2008 को बतौर खातेदार काश्तकार अंकित हो गया, जिसकी पुर्ण जानकारी विक्रेता मोती ब्यावट को अपने जीवनकाल तक रही जिसे उसने कई बार लिखित दस्तावेजों द्वारा स्वीकार किया है। इतना ही नही भूमि खरीद किये जाने के दिवस से

4.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण की पूर्ण व प्रर्याप्त जानकारी के प्रत्यर्थी संख्या 01 का कब्जा चला आ रहा है व उक्त भूमि पर तत्समय ही प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अपनी बही धन राशि खरच कर व अथक मेहनत कर उसे उन्नत बनाकर, भूमि की सुरक्षार्थ चार दिवारी व अन्य निर्माणात करवा लिये व साथ ही उक्त भूमि के एक भाग को प्रत्यर्थी संख्या 01 ने टॉवर लगाने के किराये पर भी दिया जिसका किराया भी प्रत्यर्थी संख्या 01 ही प्राप्त करती रही है। इस पद में यह कथन अक्षरशः गलत व मिथ्या है कि उपरोक्त भूमि पर अपीलार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हो व अपीलार्थीगण का इस भूमि पर कभी भी न तो कब्जा रहा व न ही आज है व न ही उन्होने कभी भी एक क्षण के लिये भी कब्जा किया। इसमें यह कथन भी गलत है कि अपीलार्थीगण को नामान्तकरण की जानकारी 18–8–2022 को हुई हो जबकि मूल विक्रेता को व उनके परिवारजन अपीलार्थीगण को तत्समय से ही पुरी जानकारी चली आ रही है, किन्तु उन्होने तत्समय ही कोई चाराजोही इस बाबत नहीं की एवम अब लगभग 14 वर्ष पश्चात अपनी पुर्णता को प्राप्त नामान्तकरण को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, जो कि किसी भी प्रकार से सदभाविक न होने से क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। जो नामान्तकरण प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में खोला गया वह पंजीकृत बेचाननामा के आधार पर खोला गया है जिसे अपीलार्थीगण ने सक्षम न्यायालय में कभी चुनौती नहीं दी एवम राजस्व अधिकारियो को लाजमी था कि वह पंजीकृत बेचाननामे के आधार पर नामान्तकरण खोले अतएव जब तक अपीलार्थीगण बेचाननामा को सक्षम न्यायालय से रद्ध व निरस्त घोषित न करवा लेवे, नामान्तकरण को न तो चुनौती दे सकते है व न ही हुई देरी को क्षमा करवा सकते है। जो नामान्तकरण खोला गया है वह विधि विपरीत नामान्तकरण की श्रेणी में नहीं आने से मियाद अधिनियम के प्रावधान बाधक ही है एवम अपीलार्थीगण विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु किसी भी प्रकार से अधिकारी नही है। अपीलार्थीगण को हुये विलम्ब के प्रत्येक दिवस बाबत विवरण दिया जाना उचित, आवश्यक व न्यायसंगत है, जिसका प्रार्थना पत्र में अभाव है। अपीलार्थीगण ने जानबुझकर यह अभिकथित नही किया है कि उन्हे कितने दिवसो के विलम्ब को क्षमा किया जाना आवश्यक है, चूंकि नामान्तकरण को 14 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात चुनौती दी है जो कि किसी भी प्रकार से युक्तियुक्त एवम सदभाविक नही हो सकती। अपीलार्थीगण विलम्ब को क्षमा किये जाने के पात्र ही नही है। अपीलार्थीगण की बदनीयती तो इस स्तर पर पहुंच गई है कि वे अनुसूचित जाति के होने के बावजूद अपने तुच्छ लाभ के वशीभूत अनुसुचित जाति के बन रहे है जबकि न तो विक्रेता मोती अनुसूचित जाति का था व न ही उसने कभी भी अपने आपको अनुसूचित जाति का बताया पंजीकृत दस्तावेज बयनामें को देखने मात्र से स्पष्ट है कि विक्रेता मोती ब्यावट जाति का था एवम राजस्व अभिलेखों में भी शुरू से लेकर आज दिवस तक उसकी व अपीलार्थीगण की जाति ब्यावट ही अंकित है, राजकीय अभिलेख कभी गलत नही हो सकते। ब्यावट जाति अनुसूचित जाति में न आकर सवर्ण जाति में आती है इसी कारण अनेक ब्यावट जाति के लोगों ने सवर्ण व्यक्तियों को अपनी खातेदारी की भूमिया जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख अन्तरित की व नामान्तकरण भी खुले जो आज भी मौजुद है। अपीलार्थीगण को आधार कार्ड, राश्नकार्ड आदि दस्तावेजों में भी इनकी जाति बेली अंकित नहीं है व यदि होती तो माननीय न्यायालय की सामान्य सन्तुष्टि बाबत पेश करते । प्रस्तुत शपथपत्र जो कि आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि नहीं करता एवम जानबुझकर झुठा शपथपत्र पेश किया है, जिस बाबत शपथग्रहिता के विरूद्ध दाण्डिक प्रकरण दर्ज कराया जाना उचित, आवश्यक व व्यावसंगत है। आवेदन पत्र का शेष पद प्रार्थना है जो किसी भी अवस्था में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है व न ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जा सकता है व न ही अपील को मियाद में मानी जा सकती है व न ही इस आवेदन पत्र को तय किये जाने से पूर्व अपील गुणावगुण पर निर्णित की जा सकती है, आवेदन पत्र मय खरचे खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण ने सम्पुर्ण आवेदन पत्र कितने दिवस की देरी को क्षमा करने का अनुतोष चाहा है, जिस बाबत भी स्पष्ट विवरण नही दिया है व न ही प्रस्तुत आवेदन पत्र में अपीलकर्तागण द्वारा, अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब जो कि 14 वर्ष से भी अधिक समय का है का उचित व प्रर्याप्त कारण बताया है, जबकि कानूनन दिन प्रतिदिन के विलम्ब को भी कानूनन ऐक्सप्लेन किया जाना आवश्यक व वन्धनकारी है, जबकि अपीलकर्तागण व उनके पूर्वज को प्रश्नगत नापमान्तकरण की जानकारी शुरू से ही रही है व जिसे अपीलार्थीगण के पूर्वज ने स्वीकार किया है अतः अपील जानकारी के बावजूद निर्धारित अवधि में पेश नही की गई है, अतः अपील माननीय न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निर्णित नही की जा सकती व सर्वप्रथम इस बिन्दू को तय किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सिविल रिट याचिका संख्या 724 सन 1994 रामजीत व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यु में पारित निर्णय के अनुसार जब तक यह आवेदन पत्र तय नहीं कर दिया जाता अपील गुणावगुण पर निर्णित नहीं की जा सकती। अतिरिक्त कथन अनुसार, प्रश्नगत

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व गोपी उर्फ गोपालदास की मृत्यु हो जाने से फौती दाखिल खारिज उनके वारिसान भंवरदास, गणेशदास, मुन्ना व विष्णु के नाम नामान्तकरण संख्या 590 दिनांक 3–3–2008 खोल दिया गया, जिसे अपीलार्थी ने जानकारी होते हुऐ भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जो कि अपनी अन्तिमता को प्राप्त कर चुका है एवम उक्त गोपी वगैरह ने अपने खातेदारी अधिकारो को उत्तरदाता प्रत्यर्थी को बहुमुल्य प्रतिफल के बदले बेचान कर दिये जाने से तमाम खातेदारी अधिकार प्रत्यर्थी संख्या को अन्तरित होकर निहित हो गये। अतएव भी प्रश्नगत नामान्तकरण को चुनौती नहीं दी जा सकती व नही 5 सालो की देरी को क्षमा किया जा सकता है। अपीलार्थीगण द्वारा दायर आवेदन पत्र धारा 5 कानून मियाद के तात्विक अंगो की पालना नहीं करता है। प्रस्तुत आवेदन विधि के सुस्थापित प्रावधानो के परे होने से निरस्तनीय है व न्यायिक प्रक्रिया का खुल्ला दुरूपयोग मात्र है। आवेदन पत्र के समर्थन में जो शपथपत्र दिया है वह कतई गलत है एवम कानूनन कोई शपथपत्र ही नहीं है जिससे की आवेदन पत्र में वर्णित कथनो की पुष्टि होती हो। आवेदन पत्र मूल प्रार्थीगण अपीलार्थीगण द्वारा हस्ताक्षरित तक नही है। जब आवेदन पत्र ही अपीलार्थीगण का हस्ताक्षरित नही है तो मौजुदा प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य है। जवाब आवेदन पत्र के समर्थन में शपथपत्र सलंग्न कर निवेदन है कि आवेदन पत्र मय खरचे खारिज फरमाया जाकर अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाकर विशेष हरजा खरचा दिलाया जाए।

दौराने बहस अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते अपील प्रापत्र में अंकित तथ्यों के मध्यनजर अंकित नामान्तरण अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया। दौराने बहस विपक्षी अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपील अपीलाण्ट द्वारा वर्षो बाद पेश होने से मियाद बाहर ठहरने के कारण अपील खारिज हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न F.I.R. संख्या 153 दिनांक 12.04.2022 के तथ्यों पर गौर किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में बेचानकर्ता नारायणलाल पुत्र मोतीलाल ने अपनी जाति ढोली को छिपाते हुए उपजाति ब्यावट दर्ज करवाते हुए, बेचान का प्रतिफल लेते हुए, कविता जैन के पक्ष में पंजीकृत बैयनामे सम्पादित करवाया है। नारायणलाल की जाति ढोली होना, अन्य राजस्व चक भोजरास में विरासतन नामान्तरण व उसके पुत्र प्रकाश , पुत्रियां रजनी व नीलू के जाति के प्रमाण पत्र से प्रमाणित होता है(दस्तावेज पत्रावली में संलग्न है), ऐसी स्थिति में ग्राम रूपाहेली की आराजी सं 3222 व 3224 का विक्रयपत्र दिनांक 02.01.2008 Ab initio void है, तथा इसके आधार पर दर्ज नामान्तरण संख्या 2435 दिनांक 08.05.2008 भी Ab initio void है। उपरोक्त आधार पर अपील स्वीकार योग्य है, अतएव–

आदेश

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार की जाकर तहसीलदार हुरडा को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 2435 निरस्त कर प्रश्नगत भूमि पर रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने का नोट अंकित किया जावे। तहसीलदार हुरडा को भूमिधारी की हैसियत से निर्देशित किया जाता है कि वे अविलंब धारा 175 आरटीए व 212 आरटीए का वाद व प्रार्थना पत्र यथाशीघ्र सक्षम न्यायालय में दायर करें।

निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 22/04/2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.4.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)